SSC FOUNDATION

सम्यान 1.0 बैच

CONSTITUTION

FUNDAMENTAL RIGHTS
(मौलिक अधिकार)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE : 12 PM

BY-PAWAN SIR

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

मौलिक अधिकार / Fundamental Rights

Fundamental Rights are those basic rights guaranteed by the Constitution to every citizen of India, which are enforceable by the courts. They ensure the overall development, freedom, and equality of individuals, and place limitations on the State so that it cannot encroach upon the liberty of citizens.

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त (दिए गए) हैं और जिनकी सुरक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं तथा राज्य को इस सीमा में बाँधते हैं कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न कर सके।

ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन
Magna Carta (1215)- KING JOHN
Bill of Rights (1689) और
Rule of Law जैसे सिद्धांतों ने अधिकारों की नींव रखी

French Revolution के दौरान Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789) आया।
इसमें Liberty, Equality, Fraternity (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) के सिद्धांत घोषित किए गए।
यह भी मौलिक अधिकारों की प्रेरणा का बड़ा स्रोत रहा।

Bill of Rights (1791) → यह पहला लिखित संविधान था जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया।
•इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता (Freedom of Speech, Religion, Press, Assembly),
•सुरक्षा (Protection against arbitrary arrest), और न्याय (Due Process of Law) जैसे अधिकार दिए गए।
इसलिए कहा जाता है कि "Fundamental Rights का जन्म अमेरिका में हुआ।"

भारत में मौलिक अधिकारों की माँग

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress – 1895)
कांग्रेस ने "Constitution of India Bill, 1895" / स्वराज्य विधेयक, 1895 जारी किया।
इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की माँग पहली बार रखी गई।

Commonwealth of India Bill, 1925-Annie Besant ने भारत के लिए **Dominion Status** और **Fundamental Rights** की माँग को औपचारिक रूप से दुनिया के सामने रखा।

नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report, 1928)
मोतिलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार हुई।
इसमें मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया, जैसे –
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- समानता का अधिकार
- संघ बनाने की स्वतंत्रता

यह भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे ठोस माँग मानी जाती है।

करांची अधिवेशन (Karachi Session of Congress, 1931)
अध्यक्षता – पंडित जवाहरलाल नेहरू
यहाँ "Fundamental Rights and Economic Programme" पारित हुआ।
इसमें नागरिकों और श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता देने की माँग की गई।

सप्रू समिति (Sapru Committee Report, 1945) ने भी मौलिक अधिकारों की सिफारिश की।
संविधान सभा ने इन माँगों को स्वीकार किया और भाग-3 (Part III, Articles 12–35) में मौलिक अधिकारों को शामिल किया।

मौलिक अधिकार समिति और उप-समिति (Committee & Sub-Committee on Fundamental Rights)
Committee- Sardar Vallabh Bhai Patel
Sub-Committee – J.B Kriplani

Part III of the Indian Constitution (Fundamental Rights / मूल अधिकार)

- Articles (अनुच्छेद): 12 से 35 तक
- Nature (स्वरूप): Justiciable Rights (न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले अधिकार)
- Objective (उद्देश्य): नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना।

मौलिक अधिकारों का स्रोत (Sources of Fundamental Rights in Indian Constitution)

CONSTITUTION OF USA-1789 (USA – Bill of Rights, 1791)

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech & Expression)

सभा और संगठन की स्वतंत्रता (Freedom of Assembly & Association)

धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religion)

संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार (Fundamental Rights in Original Constitution, 1950)

7 प्रकार के मूल अधिकार

- समानता का अधिकार (Right to Equality) – अनुच्छेद 14-18
- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – अनुच्छेद 19-22
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) – अनुच्छेद 23-24
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) – अनुच्छेद 25-28
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) – अनुच्छेद 29-30
- संपत्ति का अधिकार (Right to Property) – अनुच्छेद 19(1)(f) & 31
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – अनुच्छेद 32

अब केवल 6 मौलिक अधिकार (6 Fundamental Rights) शेष हैं।

संपत्ति का अधिकार (Right to Property) – अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31

Right to acquire, hold, and dispose of property.

संपत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने का अधिकार।

44वें संशोधन (1978) द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब यह कानूनी अधिकार (Legal Right) – अनुच्छेद 300 A है।

Article 12 of the Indian Constitution

- Part III (Fundamental Rights) की शुरुआत Article 12 से होती है।
- यह बताता है कि “State (राज्य)” शब्द का मतलब क्या होगा, जब भी मूल अधिकारों (Fundamental Rights) की बात होगी।

According to Article 12, the term ‘State’ includes / “राज्य” (State) में शामिल हैं:

Government & Parliament of India → (Union Government – Executive + Legislature)
भारत सरकार और संसद (केंद्र सरकार की कार्यपालिका व विधायिका)

Government & Legislature of each State → (State Government – Executive + Legislature)
प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल (राज्य सरकार की कार्यपालिका व विधायिका)

All local authorities → (Municipalities, Panchayats, District Boards, etc.)
सभी स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत इत्यादि)

Other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.
अन्य सभी प्राधिकरण जो भारत की सीमा के अंदर हों या भारत सरकार के नियंत्रण में हों।

यदि इन संस्थाओं द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक
High Court (Art. 226) या Supreme Court (Art. 32) में जा सकते हैं।

अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

(Article 13 – Laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights)

अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि:

संविधान से पहले के कानून (Pre-Constitution Laws):

संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रभावी थे, यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो वे उस सीमा तक शून्य (Void) माने जाएंगे।

भविष्य के कानून (Future Laws):

राज्य (State) ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या सीमित करता हो। यदि ऐसा कानून बनाया गया तो वह कानून उस सीमा तक अमान्य (Invalid) होगा।

कानून की परिभाषा (अनुच्छेद 13(3)):

यहाँ कानून का मतलब केवल अधिनियम (Act) नहीं है, बल्कि इसमें अध्यादेश (Ordinance), आदेश (Order), उपविधि (By-law), नियम (Rule), विनियम (Regulation), अधिसूचना (Notification), प्रथा या प्रचलन (Custom or Usage) भी शामिल हैं।

न्यायिक पुनर्वलोकन (Judicial Review):

अनुच्छेद 13 के कारण भारतीय न्यायपालिका को Judicial Review (न्यायिक पुनर्वलोकन) की शक्ति मिली। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर सकते हैं यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Article 13 provides that:

Pre-Constitution Laws:

All laws in force in India before the commencement of the Constitution (i.e., before 26 January 1950), which are inconsistent with the provisions of Fundamental Rights, shall be void to the extent of such inconsistency.

Future Laws:

The State shall not make any law which takes away or abridges the Fundamental Rights, and if it makes such a law, it shall be void to the extent of the violation.

Definition of Law (Article 13(3)):

The term *law* includes ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law.

Judicial Review:

Article 13 gives the power of Judicial Review to the courts.

Courts (Supreme Court & High Courts) can declare any law unconstitutional if it violates Fundamental Rights.

1. Right to Equality (समानता का अधिकार) – Articles 14 to 18

Article 14 – Equality before law & Equal protection of laws
(कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण)।

Article 15 – Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth (धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध)।

Article 16 – Equality of opportunity in public employment
(सरकारी नौकरियों में समान अवसर)।

Article 17 – Abolition of untouchability
(अस्पृश्यता का अंत)।

Article 18 – Abolition of titles
(उपाधियों का अंत – "Sir", "Rai Bahadur" आदि)।

Two Main Concepts of Article 14

1. कानून के समक्ष समानता

Equality Before Law

सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। Same law applies to everyone.
किसी को विशेष कानूनी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। No special legal privilege for anyone.

यह अवधारणा ब्रिटेन (Britain) से ली गई है।

2. कानूनों का समान संरक्षण

Equal Protection of Laws

समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। People in similar conditions should be treated equally.
अलग परिस्थितियों वाले लोगों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं।

यह अवधारणा अमेरिका (USA) से ली गई है।

Important Doctrines Related to Article 14

1. **Rule of Law- सभी कानून के अधीन हैं।**
2. **Reasonable Classification- उचित आधार पर वर्गीकरण मान्य है।**
3. **Arbitrariness Doctrine- मनमाना सरकारी कार्य Article 14 का उल्लंघन है।**

Article 15 के विभिन्न उपबंध / Different Clauses of Article 15

Article 15(1)

राज्य केवल ऊपर दिए गए आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा।

The State shall not discriminate only on these grounds.

Article 15(2)

कोई नागरिक दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों आदि में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

No citizen can be denied access to:

Shops

Hotels

Restaurants

Public places

Article 15 के विभिन्न उपबंध / Different Clauses of Article 15

Article 15(3)
महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
Special Provisions for Women and Children

राज्य महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष कानून बना सकता है।

The State can make special provisions for women and children.

उदाहरण:

Maternity benefits

Free education schemes for girls

Article 15(4)
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान
Special Provisions for Socially and Educationally Backward Classes

यह प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया।

Added by the First Constitutional Amendment Act, 1951.

इसके अंतर्गत: SC, ST, OBC

के लिए विशेष सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

Article 15(5)
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
Reservation in Educational Institutions

93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया।
Added by 93rd Constitutional Amendment Act, 2005.
राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों (Minority institutions छोड़कर) में भी आरक्षण दे सकता है।

Article 15(6)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण
Reservation for Economically Weaker Sections

103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया।
Added by 103rd Constitutional Amendment Act, 2019.
EWS को 10% आरक्षण
शिक्षा एवं नौकरियों में

2. Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार) – Articles 19 to 22

Article 19 – 6 Fundamental Freedoms (छह मूल स्वतंत्रताएँ):

- Speech & Expression (विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)
- Assembly (शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता)
- Association (संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता)
- Movement (देश के भीतर कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता)
- Residence (कहीं भी बसने की स्वतंत्रता)
- Profession (कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता)

Article 20 – Protection in respect of conviction for offences (अपराधों के संबंध में सुरक्षा)।

Article 21 – Protection of life & personal liberty (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।

Article 21A – Right to Education (6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार)।

Article 22 – Protection in case of arrest & detention (गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अधिकार)।

Article 21 – Protection of life & personal liberty
(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)

जीने का अधिकार

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता

1. सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार/ Right to Live with Human Dignity
   - भोजन (Food)
   - कपड़ा (Clothing)
   - आवास (Shelter)
   - स्वच्छता (Sanitation)
   - शिक्षा (Education)
2. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार / Right to Clean Environment
   - Right to clean air and water.
   - Pollution-free environment
   - Noise-free environment :- महत्वपूर्ण केस:- M.C. Mehta Cases
3. निजता का अधिकार / Right to Privacy
   - व्यक्ति की निजी जानकारी, फोन, डेटा और व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा।
   - Protection of personal data and private life.
   - महत्वपूर्ण केस:- K.S. Puttaswamy v. Union of India

4. स्वास्थ्य का अधिकार / Right to Health

सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा मिले।

Government must provide proper medical facilities.

इसमें शामिल:- Emergency treatment , Hospital facilities , Safe drinking water

5. शीघ्र न्याय का अधिकार/Right to Speedy Trial

मुकदमों का जल्दी निपटारा होना चाहिए।

Cases should be decided without unnecessary delay.

महत्वपूर्ण केस:- Hussainara Khatoon v. State of Bihar

6. कानूनी सहायता का अधिकार / Right to Free Legal Aid

गरीब व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए।

Poor persons must get free legal assistance.

7. विदेश यात्रा का अधिकार / Right to Travel Abroad

किसी व्यक्ति को विदेश जाने से मनमाने ढंग से नहीं रोका जा सकता।

A person cannot be arbitrarily stopped from travelling abroad.

महत्वपूर्ण केस:- Maneka Gandhi v. Union of India

8. आश्रय का अधिकार / Right to Shelter

हर व्यक्ति को रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए।

Every person has a right to proper shelter.

9. भोजन का अधिकार / Right to Food
10. स्वच्छ पेयजल का अधिकार / Right to Clean Drinking Water
11. गरिमामय मृत्यु का अधिकार / Right to Die with Dignity
12. हिरासत में मानव गरिमा का अधिकार / Rights of Prisoners and Arrested Persons
    कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता।
    Prisoners must be treated humanely.
    इसमें शामिल:- No torture , Legal assistance , Fair treatment
13. जीविका का अधिकार / Right to Livelihood
    रोजगार और जीविका कमाने का अधिकार. Right to earn a livelihood.
    महत्वपूर्ण केस:- Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
14. नींद का अधिकार / Right to Sleep
15. इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार / Right to Internet Access
    महत्वपूर्ण केस:- Anuradha Bhasin v. Union of India

खरीदना -बेचना

3. Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार) – Articles 23 & 24

लाभदायक जनसंख्या समूह
15y - 59y

Article 23 – Prohibition of traffic in human beings & forced labour
बलात्-श्रम (मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध)।

Article 24 – Prohibition of employment of children below 14 years in factories, mines, etc.
बाल श्रम (14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर प्रतिबंध)।

4. Right to Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) – Articles 25 to 28

Article 25 – Freedom of conscience & free profession, practice, and propagation of religion
(धार्मिक स्वतंत्रता – किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)।

Article 26 – Freedom to manage religious affairs
(धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।

Article 27 – Freedom from payment of taxes for promotion of any religion
(धर्म प्रचार हेतु कर से मुक्ति)।

Article 28 – Freedom from attending religious instruction in certain institutions
(कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति)।

Article 25 of the Indian Constitution – Freedom of Religion
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता

Constitution of India Article 25 guarantees **freedom of conscience** and the right to **freely profess, practice, and propagate religion** to all persons in India.

Constitution of India भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को **अंतरात्मा की स्वतंत्रता** तथा **धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता** प्रदान करता है।

1. Freedom of Conscience-अंतरात्मा की स्वतंत्रता
2. Profess Religion- धर्म को मानना
3. Practice Religion- धर्म का पालन करना
4. Propagate Religion - धर्म का प्रचार करना

अनुच्छेद 25 पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। सरकार निम्न कारणों से प्रतिबंध लगा सकती है:

- सार्वजनिक व्यवस्था
- नैतिकता
- स्वास्थ्य
- सामाजिक सुधार

Article 26

Subject to public order, morality, and health, every religious denomination has the right:

(a) To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes.

(b) To manage its own affairs in matters of religion.

(c) To own and acquire movable and immovable property.

(d) To administer such property according to law.

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है:

(क) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना।

(ख) धर्म संबंधी अपने मामलों का प्रबंधन करना।

(ग) चल एवं अचल संपत्ति अर्जित और स्वामित्व में रखना।

(घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना।

Article 27

of the Indian Constitution prohibits the State from compelling citizens to pay taxes if the proceeds are specifically used to promote or maintain any particular religion or religious denomination. This fundamental right reinforces India's status as a secular nation by ensuring taxpayers' money is not used to favor one religion.

केन्द्र/राज्य

अनुच्छेद 27 राज्य को नागरिकों से कर वसूलने से रोकता है यदि कर से प्राप्त धनराशि का उपयोग विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किया जाता है। यह मौलिक अधिकार करदाताओं के धन का उपयोग किसी एक धर्म के पक्ष में न होने की गारंटी देकर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

Core Provisions- मुख्य प्रावधान

- **No Compulsion:** The government cannot mandate the payment of any specific tax to fund religious institutions or activities.
- **कोई बाध्यता नहीं:** सरकार धार्मिक संस्थानों या गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किसी विशिष्ट कर के भुगतान को अनिवार्य नहीं कर सकती है।
- **No Specific Appropriation:** Funds collected through general taxation cannot be allocated for the maintenance of a single religion.
- **कोई विशिष्ट विनियोग नहीं:** सामान्य कराधान के माध्यम से एकत्रित धन को किसी एक धर्म के रखरखाव के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।

कर बनाम शुल्क: अनुच्छेद 27 कर और शुल्क में अंतर स्पष्ट करता है। कर का उद्देश्य जनहित होता है, जबकि शुल्क विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान होता है। इसलिए, सरकार धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए प्रशासनिक शुल्क लगा सकती है (उदाहरण के लिए, मंदिर या वक्फ बोर्ड के प्रशासन का प्रबंधन करना) और ऐसा करने से अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा।

धर्मनिरपेक्ष व्यय की अनुमति: राज्य को सार्वजनिक धन को उन पहलों पर खर्च करने की कानूनी अनुमति है जो सभी धर्मों को समान रूप से लाभ पहुंचाती हैं या धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। इसमें ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, प्रमुख धार्मिक तीर्थयात्राओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना या सामान्य शैक्षिक सहायता प्रदान करना शामिल है।

उद्देश्य

अनुच्छेद 27 का प्राथमिक उद्देश्य धर्म और राज्य के मामलों के सख्त पृथक्करण को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उन धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं का आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए मजबूर न किया जाए जिनका वे पालन नहीं करते हैं, जिससे सभी धार्मिक समुदायों में समानता को बढ़ावा मिलता है।

Article 28

The purpose of Article 28 is to maintain secularism in educational institutions funded by the State.
अनुच्छेद 28 का उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखना है।

Clause (1)

No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.
राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Clause (2)

This restriction does not apply to institutions administered by the State but established under an endowment or trust that requires religious instruction.
यह प्रतिबंध उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जो राज्य द्वारा संचालित हों, लेकिन किसी ट्रस्ट या दान के आधार पर स्थापित की गई हों जहाँ धार्मिक शिक्षा आवश्यक हो।

Clause (3)

No person attending a State-recognized or State-aided educational institution can be forced to take part in religious instruction or worship without consent.
राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

5. Cultural and Educational Rights (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) – Articles 29 & 30

Article 29 – Protection of interests of minorities
(अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा)।

Article 30 – Right of minorities to establish and administer educational institutions
(अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार)।

अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक

Ex:- मदरसा, गुरुकुल, मठ, चर्च स्कूल

6. Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार) – Article 32

नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं।

Dr. B.R. Ambedkar ने इसे संविधान की "Heart and Soul" (हृदय और आत्मा) कहा।

सुप्रीम कोर्ट पाँच प्रकार की Writs (रिट्स) जारी कर सकता है:

1. **Habeas Corpus** (व्यक्ति को प्रस्तुत करो) - बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. **Mandamus** (कर्तव्य करो) - परमादेश
3. **Prohibition** (निषेध)
4. **Certiorari** (रिकॉर्ड मँगाना और रद्द करना)
5. **Quo Warranto** (किस अधिकार से पद पर हो?)

भीम राव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा

Habeas Corpus (व्यक्ति को प्रस्तुत करो) - बंदी प्रत्यक्षीकरण

Issued when a person is illegally detained.
जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तब जारी होती है।

सुप्रीम कोर्ट Art:- 32

Mandamus (कर्तव्य करो) - परमादेश

Issued to order a public authority to perform its duty.
किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने हेतु जारी की जाती है।

हाई कोर्ट = Art 226

Prohibition (निषेध) प्रतिषेध

Issued by a higher court to stop a lower court from exceeding its jurisdiction.
निचली अदालत को उसकी अधिकार-सीमा से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु जारी की जाती है।

Certiorari (रिकॉर्ड मँगाना और रद्द करना) - उत्प्रेषण

Issued to transfer a case from a lower court or quash its order.
निचली अदालत के आदेश को रद्द करने या मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु जारी की जाती है।

Quo Warranto (किस अधिकार से पद पर हो?) - अधिकार पृच्छा

Issued to question the legality of a person holding a public office.
किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता पूछने हेतु जारी की जाती है।

Article 33 to 35 – Other Provisions (अन्य प्रावधान)

Article 33 – Parliament can restrict FRs of Armed forces, Police, etc.
(संसद सशस्त्र बलों के मूल अधिकार सीमित कर सकती है)।

Article 34 – Restriction on FRs during Martial Law
(मार्शल लॉ में अधिकार सीमित हो सकते हैं)।

Article 35 – Parliament has the power to make laws for giving effect to FRs
(संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाए)।

Prescribing residence requirements for certain jobs under the State.
राज्य की कुछ नौकरियों के लिए निवास संबंधी शर्तें तय करना।

Powers of courts regarding Fundamental Rights.
मौलिक अधिकारों से संबंधित न्यायालयों की शक्तियाँ निर्धारित करना।

Punishment for acts declared offences under Part III of the Constitution.
संविधान के भाग ।।। में अपराध घोषित कार्यों के लिए दंड निर्धारित करना।

Implementation of certain Fundamental Rights.
कुछ मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु कानून बनाना।

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**